म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक बोर्ड/योजना/गै0तक0/86/पार्ट-3/1157 भोपाल, दिनांक 03 -02-2023

प्रति,

1- संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ---------- (समस्त)

2- कार्यपालन यंत्री,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग, ---------- (समस्त)

विषय : किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तथा श्रमिकों का पंजीयन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक P-AGR/10/0016/2022-Sec-2-14 (AGR)/162331/860 दिनांक 21-11-2022

उपरोक्त उल्लेखित विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तथा श्रमिकों का पंजीयन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीयन कराये जाने का उल्लेख किया गया है। (सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है)

कृपया उक्त संबंध में अपने अधीनस्थ श्रमिकों, तुलावटी एवं हम्माल तथा अन्य कर्मचारियों के प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीयन की कार्यवाही हेतु शिविरों आदि का आयोजन कर पंजीयन की कार्यवाही की जा सकती है, जिससे उक्त योजना का लाभ मिल सके। साथ ही की गई कार्यवाही से वरिष्ठालय को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

"प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित"

3/2/23

अपर संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक बोर्ड/योजना/गै0तक0/86/पार्ट-3/1158 भोपाल, दिनांक 03 -02-2023

प्रतिलिपि : -

1- निज सचिव, प्रबंध संचालक महोदया, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर सादर अग्रेषित।

2- सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, ---------- ---- जिला ---------- (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3/2/23

अपर संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक P- AGR/10/0016/2022-Sec-2-14(AGR)/ 162331/860 भोपाल, दिनांक 17/11/2022 21/11/22

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश
2. उप संचालक (समस्त)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश
3. प्रबंध संचालक,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल

विषय:-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तथा श्रमिकों का पंजीयन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कराये जाने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केन्द्र सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। योजना अंतर्गत हितग्राही द्वारा योजना में जुड़ने की आयु अनुसार 55 रूपये से 200 रूपये तक का मासिक अंशदान जमा किया जाता है एवं समान राशि का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा हितअधिकारी हेतु जमा किया जाता है। हितग्राही को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 3000/- रूपये की पेंशन प्राप्त होती है। योजना अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति सम्मिलित हो सकते है। योजना में जुड़ने हेतु व्यक्ति की मासिक आय 15,000/- रूपये से कम होनी चाहिए एवं व्यक्ति आयकर दाता न हो तथा राष्ट्रीय पेंशन स्कीम/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित न हो।

योजना अंतर्गत पंजीयन सी.एस.सी. केन्द्रों पर जाकर अथवा सेल्फ इन्रॉलमेंट के विकल्प के माध्यम से कराया जा सकता है। कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सुविधा के लिए उचित स्थानों पर शिविरों का आयोजन करवाया जाकर पंजीयन उक्त योजना में करवाया जा सकता है।

अतः उक्तानुसार आपके जिले में कृषि श्रमिकों, तुलावटी एवं हम्माल श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों के प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन करवाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि वृद्धावस्था में उन्हें नियमित पेंशन प्राप्त हो सकें।

(अशोक बर्णवाल)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. Mark/2420 दि. 21/11/2022
शाखा DD (Coordination)

2...

पृ. क्रमांक P- AGR/10/0016/2022-Sec-2-14(AGRI/ 162331/861 भोपाल, दिनांक 17/11/2022

प्रतिलिपि – 21/11/22

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर उनकी दीप क्रमांक 1156 दिनांक 7.11.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अतिरिक्त सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषिविकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना 15 फरवरी से लागू

श्रम और रोजगार मंत्रालय कल यानी 15-02-2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना लांच करेगा। अंतरिम बजट में घोषित इस योजना को मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचित किया है। देश के असंगठित क्षेत्र में 42 करोड़ श्रमिक काम करते हैं।

इस योजना के पात्र 18-40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट-भट्टा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो-वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसाय के श्रमिक होंगे, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति महीने या उससे कम है। पात्र व्यक्ति नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाभ के अंतर्गत कवर नहीं किए नहीं जाने चाहिए और उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

पीएम-एसवाईएम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **न्यूनतम निश्चित पेंशनः** पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने 3,000 रुपये न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगा।
- **परिवार पेंशनः** यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु होती है तो परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी को मिलने वाले पेंशन का 50 प्रतिशत लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगा। परिवार पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होता है।

iii. यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।

अभिदाता द्वारा अंशदानः अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से "ऑटो डेबिट" सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी। नीचे तालिका में प्रवेश आयु विशेष मासिक अंशदान का ब्यौरा दिया गया है:

प्रवेश आयु	योजना पूरी होने के समय आयु	सदस्य का मासिक अंशदान (रुपये में)	केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान (रुपये में)	कुल मासिक अंशदान (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)+(4)
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128
22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	**60**	**100**	**100**	**200**
30	60	105	105	210
31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280

35	60	150	150	300
36	60	160	160	320
37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	**60**	**200**	**200**	**400**

केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का अंशदानः पीएम-एसवाईएम 50:50 के अनुपात आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और तालिका के अनुसार बराबर का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति महीने 100 रुपये का अंशदान करना होगा। केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का यानी 100 रुपये का अंशदान किया जाएगा।

पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकनः

अभिदाता के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता तथा आधार संख्या होना अनिवार्य है। पात्र अभिदाता नजदीकी सीएससी जाकर आधार नम्बर तथा बचत बैंक खाता/जनधन खाता संख्या को स्वप्रमाणित करके पीएम-एसवाईएम के लिए नामांकन करा सकते हैं।

बाद में अभिदाता को पीएम-एसवाईएम वेब पोर्टल पर जाने तथा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी और अभिदाता आधार संख्या /स्वप्रमाणित आधार पर बचत बैंक खाता / जनधन खाता का इस्तेमाल करते हुए अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

नामांकन एजेंसियां: नामांकन कार्य सामुदायिक सेवा केन्द्रों (सीएससी) द्वारा चलाया जाएगा। असंगठित श्रमिक आधार कार्ड तथा बचत बैंक खाता, पासबुक/जनधन खाता के साथ नजदीकी सीएससी जाकर योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पहले महीने की अंशदान राशि का भुगतान नकद रूप में होगा और इसकी रसीद दी जाएगी।

सहायता केन्द्रः एलआईसी के सभी शाखा कार्यालयों, ईएसआईसी/ईपीएफओ के कार्यालयों तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा असंगठित श्रमिकों को योजना, उसके लाभों तथा प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा।

इस संबंध में एलआईसी, ईएसआईसी, ईपीएफओ के सभी कार्यालयों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित प्रबंध किए जाएंगे:

1. एलआईसी, ईपीएफओ/ईएसआईसी के सभी कार्यालयों तथा केन्द्र तथा राज्यों के श्रम कार्यालय असंगठित श्रमिकों की सहायता के लिए सहायता केन्द्र बनाएंगे, योजना की विशेषताओं की जानकारी के बारे में निर्देशित करेंगे और श्रमिकों को नजदीकी सीएससी भेजेंगे।
2. प्रत्येक सहायता डेस्क पर कम से कम एक कर्मचारी होगा।
3. सहायता डेस्क मुख्य द्वार पर होगा और डेस्क के पास असंगठित मजदूरों को जानकारी देने के लिए हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त संख्या में विवरण पुस्तिका होगी।
4. असंगठित श्रमिक आधार कार्ड, बचत बैंक खाता/जनधन खाता तथा मोबाइल फोन के साथ सीएससी जाएंगे।
5. सहायता डेस्क के पास श्रमिकों के बैठने की तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी।
6. योजना के बारे में असंगठित श्रमिकों की सहायता के लिए अन्य उपाय।

कोष प्रबंधनः पीएम-एसवाईएम केन्द्र की योजना है, जिसका संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम और सीएससी के माध्यम से लागू किया जाएगा। एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर होगी और पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी। पीएम-एसवाईएम पेंशन योजना के अंतर्गत एकत्रित राशि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश तरीकों के अनुसार किया जाएगा।

योजना से बाहर निकलना और वापसीः असंगठित मजदूरों के रोजगार के अनिश्चित स्वभाव को देखते हुए योजना से बाहर निकालने के प्रावधान लचीले रखे गए हैं। योजना से बाहर निकलने के प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- यदि अभिदाता 10 वर्ष से कम की अवधि में योजना से बाहर निकलता है तो उसे केवल लाभार्थी के अंशदान के हिस्से को बचत बैंक ब्याज दर के साथ दिया जाएगा।
- यदि अभिदाता 10 वर्षों या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु होने से पहले योजना से बाहर निकलता है तो उसे लाभार्थी के अंशदान के हिस्से के साथ कोष द्वारा अर्जित संचित ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज, दर जो भी अधिक हो, के साथ दिया जाएगा।
- यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है या कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ लाभार्थी का अंशदान लेकर योजना से बाहर निकल सकता है।

- यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और 60 वर्ष की आयु से पहले किसी कारणवश से स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है और योजना के अंतर्गत अंशदान करने में अक्षम होता है तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है या कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ लाभार्थी का अंशदान प्राप्त कर योजना से बाहर निकल सकता है।
- अभिदाता और उसके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद संपूर्ण राशि कोष में जमा करा दी जाएगी।
- एनएसएसबी की सलाह पर सरकार द्वारा तय योजना से बाहर निकलने का कोई अन्य प्रावधान।

अंशदान में चूकः

यदि अभिदाता ने निरंतर रूप से अपने अंशदान का भुगतान नहीं किया है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दंड राशि के साथ पूरी बकाया राशि का भुगतान करके अंशदान को नियमित करने की अनुमति होगी।

पेंशन भुगतानः

18-40 वर्ष की प्रवेश आयु पर योजना में शामिल होने से 60 वर्ष की उम्र की प्राप्ति तक लाभार्थी को अंशदान करना होगा। 60 वर्ष की उम्र की प्राप्ति पर अभिदाता को परिवार पेंशन लाभ के साथ प्रति महीने 3000 रुपये का निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगा।

संदेह तथा स्पष्टीकरणः योजना को लेकर किसी तरह के संदेह की स्थिति में जेएस एंड डीजीएलडब्ल्यू द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अंतिम होगा।

***

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2019/माघ 18, 1940
No. 646] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2019/MAGHA 18, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2019

का.आ. 764(अ).—केन्द्रीय सरकार, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, असंगठित कर्मकारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और अनुप्रयोज्यता.—(1)** इस योजना का संक्षिप्त नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन, योजना 2019 है।

(2) यह योजना 15 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त होगी।

(3) इस योजना के उपबंधों के अधीन रहते हुए असंगठित कर्मकारों को 15 फरवरी, 2019 से इस योजना का सदस्य बनने का विकल्प होगा।

(4) इस योजना के उपबंध उन असंगठित कर्मकारों पर लागू होंगे जो गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, मछवाहन भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट भट्टा कर्मकार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कर्मकार, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, ऑन अकाउंट कर्मकार, कृषि कर्मकार, सन्निर्माण कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दृश्य-श्रव्य कर्मकार के रूप में एवं ऐसे ही अन्य व्यवसायों में कार्य कर रहे हैं।

(2) परिभाषाएं.—इस योजना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) अभिप्रेत है;

(ख) "असंगठित कर्मकार" का वही अर्थ होगा जो इसका अधिनियम की धारा 2 के खंड (ड) में है;

(ग) "असंगठित क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो इसका अधिनियम की धारा 2 के खंड (ठ) में है;

(घ) "पात्र अभिदाता" से वह कर्मकार अभिप्रेत है जो इस योजना में सम्मिलित होने का पात्र है।

(ङ) "परिवार" से,-

(i) पुरुष पात्र अभिदाता के मामले में, उसकी पत्नी;

(ii) महिला पात्र अभिदाता के मामले में, उसका पति अभिप्रेत है;

(च) पुरुष लिंग के अंतर्गत स्त्रीलिंग भी है;

(छ) "पेंशन" से इस योजना के अधीन पात्र अभिदाता को देय रकम अभिप्रेत है;

(ज) "अंशदान" से पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि में इस योजना के साथ संलग्न अंशदान चार्ट में विनिर्दिष्ट मासिक आधार पर किसी पात्र अभिदाता द्वारा संदेय की जानेवाली रकम अभिप्रेत है;

(झ) "तुलनीय अंशदान" से पात्र अभिदाता के खाते में पात्र अभिदाता द्वारा जितनी रकम अंशदान में दी गई, केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय उसके बराबर रकम अभिप्रेत है;

(ञ) "राष्ट्रीय बोर्ड" का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) में है;

3. **पेंशन निधि:-** (1) केन्द्रीय सरकार, इस योजना के प्रयोजनों के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो, राष्ट्रीय बोर्ड के परामर्श से उस सरकार द्वारा प्रशासित की जाने वाली पेंशन निधि का गठन करेगी।

(2) पात्र अभिदाता, जो इस योजना में सम्मिलित होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-अवधारित ऐसे सम्मिलित होने के समय पात्र अंशदाता की आयु के अनुसार, पेंशन निधि में इस योजना के साथ संलग्न अंशदान चार्ट में यथा विनिर्दिष्ट अंशदान करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार भी पेंशन निधि में किसी पात्र अभिदाता द्वारा अंशदान में दी गई, रकम के बराबर रकम का अंशदान करेगी;

(4) उप-पैरा (1) या उप-पैरा (2) के अधीन संदेय प्रत्येक अंशदान को इस तरह से पूर्णांक बनाया जाएगा जिसमे पचास पैसे अथवा उससे अधिक की रकम को अगले उच्चतर रुपये में गिना जाएगा और पचास पैसे से कम रुपये के अंश पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

4. **अंशदानों के संदाय में व्यतिक्रम के लिए नुकसानी की वसूली.**—जहां कोई पात्र अभिदाता इस योजना के अधीन नियम 3 के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट पेंशन निधि में उसके द्वारा संदेय किए जाने वाले किसी अंशदान के संदाय में व्यतिक्रम करता है, तो उसे समय-समय पर भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यथा-अवधारित ब्याज की दर के साथ उसके सम्पूर्ण बकाया देय का संदाय करके उसके अंशदान को नियमित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

5. **योजना में सम्मिलित होने की पात्रता.**—(1) यह योजना सम्मिलित होने के लिए केवल उस असंगठित कर्मकार के लिए खुली होगी, जिसकी मासिक आय पन्द्रह हजार रूपये से अधिक न हो और जिसका बैंक में अपने नाम से बचत खाता और आधार संख्या हो और ऐसा असंगठित कर्मकार योजना में सम्मिलित होते समय अठारह वर्ष से कम तथा चालीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं हो।

(3) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट असंगठित कर्मकार इस स्कीम में सम्मिलित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 (1948 का 34) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 (1952 का 19) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित हो अथवा वह आयकर दाता हो।

6. **संकाएं इत्यादि का समाधान.**—यदि कोई शंका उत्पन्न होती है कि क्या कोई असंगठित कर्मकार इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र अभिदाता होने का पात्र है या नहीं अथवा इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई हो तो—

(i) ऐसी शंका की स्थिति में, मामले को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव और श्रम कल्याण महानिदेशक को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उनका स्पष्टीकरण अंतिम होगा ;

(ii) कियान्वयन में ऐसी कठिनाई की स्थिति में मामले को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका स्पष्टीकरण अंतिम होगा।

7. **पेंशन योजना को छोड़ने के लाभ.**—इस योजना के अंतर्गत इससे बाहर निकलने के उपबंध एवं फायदे निम्नवत हैं, अर्थात:—

(i) किसी पात्र अभिदाता के इस योजना में सम्मिलित होने से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलने की स्थिति में, उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को उस रकम पर बचत खाता से मिलने वाले ब्याज की दर के साथ लौटाया जाएगा;

(ii) यदि कोई पात्र अभिदाता इस स्कीम में सम्मिलित होने से दस वर्षों अथवा अधिक की अवधि के भीतर परन्तु साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व इस स्कीम से बाहर निकलता है तो उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि से अर्जित की जाने वाली वास्तविक ब्याज रकम को जोड़कर अथवा उस रकम पर बचत खाता से मिलने वाले ब्याज दर, जो भी अधिक हो के साथ लौटाया जाएगा;

(iii) यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान किए हैं और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पति/पत्नी तदुपरांत यथा-प्रयोज्य नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा स्कीम में बने रहने अथवा पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हो, संचित ब्याज सहित इस अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इसे छोड़ने का हकदार होगा/होगी;

(iv) अभिदाता और उसके पति/पत्नी की मृत्यु के पश्चात, वह समग्र राशि निधि में वापस डाल दी जाएगी;

(v) उपर्युक्त खण्ड (i), (ii) और (iii) के कारण छोड़ने के मामले में, सरकार के अंशदान का संचित भाग पेंशन निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा;

(vi) नामांकन सहित छोड़ने का कोई अन्य उपबंध, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी करके विनिश्चित किया जाए।

8. निःशक्तता लाभ.—यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान अदा किए हैं और साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले किसी कारणवश स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है, और इस योजना के अंतर्गत अंशदान देते रहने में असमर्थ हो जाता है, तो उसका पति/पत्नी तदुपरांत यथा प्रयोज्य नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा स्कीम में बने रहने अथवा पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हो, ब्याज सहित इस अभिदाता द्वारा अदा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इस योजना को छोड़ने का हकदार होगा/होगी।

9. पात्र अभिदाता की मृत्यु पर परिवार को फायदे.—पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति/पत्नी परिवार पेंशन के रूप में इस पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का केवल पचास प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ऐसी परिवार पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही प्रयोज्य होगी।

10. पेंशन का भुगतान.— (1) साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात इस योजना के अधीन प्रत्येक पात्र अभिदाता सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन तीन हजार रुपये प्राप्त करेगा।

(2) एक बार पात्र अभिदाता अठारह से चालीस वर्ष के बीच की प्रवेश आयु में इस योजना में सम्मिलित हो जाता है, तो ऐसे अभिदाता को साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अंशदान करना होगा और साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसा अभिदाता नियम 9 में निर्दिष्ट, यथास्थिति, पारिवारिक पेंशन के लाभ के साथ तीन हजार रुपये, सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन पाने का हकदार होगा।

उपाबंध

[पैरा 3(2) देखें]

प्रवेश आयु (वर्ष में)	अधिवर्षिता आयु (वर्ष में)	सदस्यों का मासिक अंशदान (रुपये)	केंद्र सरकार का मासिक अंशदान (रुपये)	कुल मासिक अंशदान (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)+(4)
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128
22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	**60**	**100**	**100**	**200**
30	60	105	105	210
31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280
35	60	150	150	300
36	60	160	160	320
37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	**60**	**200**	**200**	**400**

[फा. सं. एल-11011/04/2018-आरडब्ल्यू (खण्ड.1)]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव और महा निदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the, 7th February, 2019

S.O. 764(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 (33 of 2008), the Central Government hereby makes the following Scheme to provide for old age protection to the unorganised workers, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) This Scheme may be called the Pradhan Mantri Shram-Yogi Maan-dhan, 2019.

(2) It shall come into force on the 15th day of February, 2019.

(3) Subject to the provisions of this Scheme, the unorganised workers have option to become the members of the Scheme, on and from the 15th day of February, 2019.

(4) The provisions of this Scheme shall apply to the unorganised workers who are working or engaged as home based workers, street vendors, mid-day meal workers, head loaders, brick kiln workers, cobblers, rag pickers, domestic workers, washer men, rickshaw pullers, landless labourers, own account workers, agricultural workers, construction workers, beedi workers, handloom workers, leather workers, audio- visual workers and similar other occupations.

2. Definitions.- In this Scheme, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 (33 of 2008);

(b) "unorganised worker" has the same meaning as assigned to it in clause (m) of section 2 of the Act;

(c) "unorganised sector" has the same meaning as assigned to it in clause (l) of section 2 of the Act;

(d) "eligible subscriber" means an unorganised worker who is eligible to join this Scheme;

(e) "family" means,—

(i) his wife, in the case of male eligible subscriber;

(ii) her husband, in the case of a female eligible subscriber;

(f) "pension" means the amount payable under this Scheme to the eligible subscriber;

(g) "contribution" means the amount specified in the contribution chart appended with this Scheme, to be payable monthly by an eligible subscriber in the pension fund referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3;

(h) "matching contribution" means the equal amount as contributed by the eligible subscriber, payable by the Central Government to the eligible subscriber's account;

(i) "National Board" has the same meaning as assigned to it in clause (d) of section 2 of the Act.

3. Pension Fund.—(1) The Central Government shall for the purposes of this Scheme, establish a Pension Fund to be administered by that Government in consultation, wherever required, with the National Board.

(2) The eligible subscriber, who joins the Scheme, shall subscribe to the Pension Fund as determined by the Central Government from time to time at the time of such joining in accordance with the age of the eligible subscriber, as specified in the contribution chart appended as Annexure to this Scheme.

(3) The Central Government shall also contribute to the Pension Fund the equal amount as contributed by an eligible subscriber.

(4) Each contribution payable under sub-paragraph (1) or sub-paragraph (2) shall be rounded off so as to the amount of fifty paise or more shall be counted as the next higher rupee and a fraction of a rupee less than fifty paise shall be ignored.

4. Eligibility to join the Scheme.—(1) This Scheme shall be open only to the unorganised worker for joining, whose monthly income is not exceeding fifteen thousand rupees and who has a savings bank account in his name and Aadhar number.

(2) The unorganised worker referred to in sub-paragraph (1) shall be not less than eighteen years of age and not exceeding forty years of age.

(3) The unorganised worker referred to in sub-paragraph (1) shall not be eligible to join the Scheme, if he is covered under National Pension Scheme contributed by the Central Government or Employees' State Insurance Corporation Scheme under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) or Employees' Provident Fund Scheme under the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) or he is an income-tax assessee.

5. Recovery of damages for default in payment of contributions.—Where an eligible subscriber makes a default in the payment of any contribution to be payable by him under this Scheme to the Pension Fund referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3, then, he shall be allowed to regularise his contribution by paying his entire outstanding dues, along with interest of the rate as determined by the Government of India in the Ministry of Labour and Employment from time to time.

6. Resolution of doubts, etc.—If any doubt arises as to whether any unorganised worker is entitled to become an eligible subscriber to join this Scheme or any difficulty arises in implementation of this Scheme, then,-

(i) in case of such doubt, the issue shall be referred to the Joint Secretary and Director General Labour Welfare, Government of India in the Ministry of Labour and Employment, New Delhi, whose clarification thereon shall be conclusive; and

(ii) in case of such difficulty in implementation, the issue shall be referred to the Central Government, whose clarification thereon shall be conclusive.

7. Benefits on leaving the Pension Scheme.—The exit provisions and benefits thereunder, of this Scheme are as under, namely:—

(i) in case an eligible subscriber exits this Scheme within a period of less than ten years from the date of joining the Scheme by him, then the share of contribution by him only will be returned to him with savings bank rate of interest payable thereon;

(ii) if an eligible subscriber exits after completion of a period of ten years or more from the date of joining the Scheme by him but before his age of sixty years, then his share of contribution only shall be returned to him along with accumulated interest thereon as actually earned by the Pension Fund referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3 or the interest at the savings bank interest rate thereon, whichever is higher;

(iii) if an eligible subscriber has given regular contributions and died due to any cause, his spouse shall be entitled to continue with the Scheme subsequently by payment of regular contribution as applicable or exit by receiving the share of contribution paid by such subscriber along with accumulated interest, as actually earned thereon by the Pension Fund, referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3 or at the savings bank interest rate thereon, whichever is higher;

(iv) after death of subscriber and his or her spouse, the corpus shall be credited back to the fund;

(v) in case of exit on account of clauses (i), (ii) and (iii) above, the accumulated share of Government's contribution shall be credited back to the Pension Fund;

(vi) any other exit provision, including nomination, as may be decided by the Central Government by issuing instructions from time to time.

8. Benefits on disablement.- If an eligible subscriber has given regular contributions and become permanently disabled due to any cause before attaining his age of sixty years, and is unable to continue to contribute under this Scheme, his spouse shall be entitled to continue with the Scheme subsequently by payment of regular contribution as applicable or exit the Scheme by receiving the share of contribution deposited by such subscriber, with interest as actually earned thereon by the Pension Fund, referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3 or the interest at the savings bank interest rate thereon, whichever is higher.

9. **Benefits to the family on death of an eligible subscriber.**- During the receipt of pension, if an eligible subscriber dies, his spouse shall be only entitled to receive fifty per cent. of the pension received by such eligible subscriber, as family pension and such family pension shall be applicable only to the spouse.

10. **Payment of pension.**- (1) Each eligible subscriber under this Scheme shall receive assured minimum monthly pension of three thousand rupees after attaining the age of sixty years.

(2) Once the eligible subscriber joins this Scheme at the entry age between eighteen to forty years, such subscriber has to contribute till attaining the age of sixty years and on attaining his age of sixty years, such subscriber shall be entitled to get the assured minimum monthly pension of three thousand rupees with benefit of family pension specified in paragraph 9, as the case may be.

Annexure

[see paragraph 3(2)]

Entry Age (in years)	Superannuation Age (in years)	Member's monthly contribution (Rs.)	Central Government's monthly contribution (Rs.)	Total monthly contribution (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)+(4)
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128
22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	**60**	**100**	**100**	**200**
30	60	105	105	210
31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280
35	60	150	150	300
36	60	160	160	320
37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	**60**	**200**	**200**	**400**

[F. No. L-11011/04/2018-RW (Pt.1)]

AJAY TEWARI, Jt. Secy. & Director General (Labour Welfare)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.02.07 21:56:51 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 755] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2019/माघ 26, 1940
No. 755] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2019/MAGHA 26, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2019

का.आ. 877(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार का उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को उनके अधिकार एक सुविधाजनक और निर्बाध रीति में सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिए बहु दस्तावेजों के प्रस्तुति की आवश्यकता को पूरा करता है ;

और भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन,योजना केंद्रीय क्षेत्र योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात योजना कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है, जिसे भारतीय बीमा निगम और सामान्य सेवा केंद्र (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

और योजना का लक्ष्य योजना के दिशानिर्देशों के विस्तार में यथापरिभाषित असंगठित कर्मकार (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) के लिए पेंशन सहायता का उपबंध करना है। इसे असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, 2008 का 33 की धारा 3 (1) (ग) की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन केंद्रीय सरकार ने वृद्धावस्था की सुरक्षा पर असंगठित कर्मकारों के लिए उचित कल्याणकारी योजनाओं को विरचित करने के लिए आज्ञापक बनाया है। लाभार्थी मूल रूप से गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, मध्याहन भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट भट्ठा कर्मकार, मोची, कूडा बीनने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, ऑन अकाउन्ट कर्मकार, कृषि कर्मकार, संनिर्माण कर्मकार, बीडी कर्मकार,

हथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दृश्य-श्रव्य कर्मकार और समान अन्य व्यवसाय मे लगे हुए है। केंद्रीय सरकार इस योजना की उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के साथ, जहां कहीं अपेक्षित, हो परामर्श में प्रशासन करने के लिए एक पेंशन निधी की स्थापना करेगी। केंद्रीय सरकार भी किसी पात्र अभिदाता (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) द्वारा संदाय के रूप में समान रकम पेंशन निधी में संदाय करेगी।

और, पूर्वोक्त योजना में भारत की संचित निधी से उपगत होने वाला आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016, (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण मे निम्नलिखित अधिसूचित करती है अर्थात:-

1. (1) योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति से आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार को अधिप्रमाणन करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जो आधार संख्या नही रखता है या उसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपबंधों के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार के नामांकन के लिए (भारतीय यूनिक पहचान प्राधिकरण (यू. आई.डी.ए.आई) वेबसाइट (www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची) किसी आधार नामांकन केंद्र पर नामांकन करा सकते है।

(3) योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपना आधार संख्या या आधार नामांकन पहचान दिया है या आधार को अधिप्रमाणन कराया है :

(क) वह अपने आधार संख्या का प्रयोग करने के लिए मंत्रालय या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से अपनी सहमति प्रदान करने के लिए तथा योजना की दिशा निर्देशों के विस्तार के अनुसार केंद्रीय सरकार और अन्य संबद्ध विभागों या अभिकरणों द्वारा अभिदाय की गई आय कर या कर्मचारी राज बीमा निगम योजना या कर्मचारी भविष्य निधि योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना के साथ किसी योजना के लिए अपनी पात्रता की सच्चाई के सत्यापन के लिए समय-समय पर अन्य सूचना प्रदान करना समझा जाएगा।

(ख) अपनी जानकारी को साझा करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सिवाए उसके द्वारा प्रदान की गई सूचना की सच्चाई के सत्यापन के लिए समय-समय पर मंत्रालय या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के लिए यूआईडीएआई पर कोर बायेमैट्रिक उपलब्ध हो पर अपनी सहमति प्रदान करना समझा जाएगा।

(4) प्रसुविधा को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा रखे जाने वाले लाभार्थियों के लिए पेंशन लेखा के उद्देश्य के लिए सृजित की गई पेंशन निधि के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अंतरित किया जाएगा।

(5) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है तथा ऐसे मामलों में जहां संबंधित ब्लॉक अथवा तालुक या तहसील मे कोई आधार नामांकन

केन्द्र अवस्थित नहीं है, आधार नामांकन की प्रसुविधाओं को प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, मंत्रालय या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से विद्यमान यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार के सहयोग अथवा उनमे होने वाले यूआईडीएआई रजिस्टारों के द्वारा सुविधा जनक स्थानों पर आधार नामांकन प्रसुविधा का उपबंध करेगा :

परन्तु आधार को किसी व्यक्ति को सौंपे जाने तक, योजना के अधीन प्रसुविधाओं को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा अर्थात:-

(क) उसने अपनी आधार नामांकन पहचान दस्तावेज पर्ची को नामांकित कराया है, और

(ख) (i) निम्नलिखित में से किसी दस्तावेज- फोटो के साथ बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या (ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान दस्तावेज कार्ड; (iii) स्थायी लेख संख्या (पैन) कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राईविंग लाइसेंस; या (vi) राशन कार्ड; या (vii) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्ड; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) किसी शास्त्रीय पत्र पर राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा ऐसे व्यक्ति की फोटो की पहचान का प्रमाण; या (x) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की उस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।

2. योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधा प्रदान करने के क्रम में, मंत्रालय या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करने की सभी अपेक्षाओं को करेगा जो ऐसी अपेक्षाओं के बारे में उनको जागरूक करने लिए लाभार्थियों को प्रदान की जाती हैं।

3. ऐसें सभी मामलों में, जहां आधार का अधिप्रमाणन लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक या किसी अन्य कारण से विफल होता है, निम्नलिखित अपवादिक हैंडलिंग तंत्र को अंगीकृत किया जाएगा अर्थात:-

(क) खराब अंगुली के निशान की मात्रा के मामलें में, एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन करने या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा को अधिप्रमाणन के लिए अंगीकार किया जाएगा जिसके द्वारा मंत्रालय या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से बाधामुक्त रीति में लाभों के परिदान के लिए अंगुली छाप अधिप्रमाणन के साथ चेहरा अधिप्रमाणन या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली का उपबंध करेगा;

(ख) अंगुली छाप या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक के मामले मे सफलता नही प्राप्त होती है, जहां कहीं साध्य हो और ऐसी समय वैधता के साथ जो विहित की जाए, एक समय पासवर्ड पर आधारित या आधार एक समय पासवर्ड द्वारा स्वीकार अधिप्रमाणन की प्रस्थापना करेगा;

(ग) ऐसे सभी अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक समय पासवर्ड या समय आधारित एक समय पासवर्ड का अधिप्रमाणन किया जाना संभव नहीं है, लाभ वास्तविक आधार पत्र पर दिया जाएगा जिनका

अधिप्रमाणन आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रति उत्तर कोड के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है। क्यू आर कोड रीडर के लिए आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी;

4. यह अधिसूचना असम, मेघालय राज्य तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाए सभी राज्यों और संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एल-11011/04/2018-आर डब्लू (भाग I)]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2019

S.O. 877(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Labour and Employment (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Central Sector Scheme of Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (hereinafter referred to as the Scheme) which is implemented through the Life Insurance Corporation of India and Common Service Centres (hereinafter referred to as the implementing agency).

And whereas, the Scheme aims at providing pension support for Unorganized Workers (hereinafter referred to as the beneficiaries), as defined in the extant scheme guidelines. This made under clause (c) of sub-Section (1) of section 3(1)(c) of the Unorganised Workers Social Security Act, 2008 33 of 2008, the Central Government is mandated to formulate suitable welfare schemes for Unorganised workers on old age protection. The beneficiaries are basically engaged as home based workers, street vendors, mid-day meal workers, head loaders, brick kiln workers, cobblers, rag pickers, domestic workers, washer men, rickshaw pullers, landless labourers, own account workers, agricultural workers, construction workers, beedi workers, handloom workers, leather workers, audio-visual workers and similar other occupations. The Central Government shall for the purposes of this Scheme, establish a Pension Fund to be administered in consultation, wherever required, with the National Board. The Central Government shall also contribute to the Pension Fund the equal amount as contributed by an eligible subscriber (hereinafter referred to as the benefits);

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely,-

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for an Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) Any individual who has given his or her Aadhaar number or Aadhaar Enrolment ID or has undergone Aadhaar authentication for availing the benefits under the Scheme,

(a) shall be deemed to have given his or her consent to the Ministry or through its implementing agency to use his or her Aadhaar number and other information provided from time to time to verify his eligibility for scheme with income tax or employee State insurance corporation scheme or employee provident fund scheme or National Pension Scheme contributed by central government and other concerned departments or agencies as per the extant scheme guidelines.

(b) shall be deemed to have given his or her consent to Unique Identification Authority of India to share his or her information except core biometrics available with UIDAI to the Ministry or through its implementing agency from time to time for verification of the veracity of the information provided by him.

(4) The benefit shall be transferred by Government of India through the pension fund created for the purpose to the beneficiaries pension account maintained by the implementing agency.

(5) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its implementing agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its implementing agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrars themselves.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:–

(a) if he or she or has enrolled, his Aadhaar Enrolment identity Document slip; and

(b) (i) Any one of the following documents: Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Electoral Photo Identity Card (EPIC) issued by the Election Commission of India; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Card; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) any other document as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its implementing agency shall make all the required arrangements to ensure wide publicity through media is given to the beneficiaries to make them aware of the requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, Integrated Risk Information System scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Ministry through its implementing agency shall make provisions for Integrated Risk Information System scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case of biometric authentication through fingerprints or Integrated Risk Information System or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefit may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter. The necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry through its implementing agency;

4. This notification shall come into Force from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories Administrations, except the State of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. L-11011/04/2018-RW(Part I)]

AJAY TEWARI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.02.18 12:36:09 +05'30'